E-MAIL/FAX/SPEEDPOST

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोचिन-682009
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House
Website: www.cochincustoms.nic.in
E-mail: commr@cochincustoms.nic.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

परिपत्र CIRCULAR. No. 62/2017

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति-दिनांक 19.12.2017 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त - संबंधित

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the meeting held on 19.12.2017 Reg.

****

स्थाई व्यापार सुविधा समिति की 142वीं बैठक दिनांक 19.12.2017 को 11.00 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई। श्री सुमित कुमार, आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 142nd meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 11.00 hrs on 19.12.2017 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Shri. Sumit Kumar, Commissioner chaired the meeting.

निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे। श्री/श्रीमती
The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. Amreeta Titus, Dy.Commissioner
2. S. V. Prakash, Asst. Commissioner
3. M.S.Suresh, Asst.Commissioner
4. M.R.Hajong, Asst. Commissioner
5. Bhuvanachandran P., Scientist 'E', NIC
6. A.L.Sajeeb Hussain, Superintendent of Customs
7. Vijayan Pillai, Superintendent of Customs
8. Baiju Daniel, Appraiser
9. V.Usha Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार से जुड़े सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि- सर्वश्री
The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Dileep Kumar, JDGFT
2. Raj Vinod, Cochin Port Trust

3. J Gupta, Cochin Port Trust
4. Pramod K P, Cochin Special Economic Zone
5. C M Unnikrishnan, Coir Board
6. U Balakumar, Textile Committee
7. S S Sidhu, Plant Quarantine
8. B N Jha, DD, Spices Board
9. K P Vijayakumar, JC, Tea Board
10. Bino Kurian, Rubber Board
11. Paul J Kocheril, DGM, CIAL
12. K Suresh Babu, CFS, CPT
13. P P Rajendran, CFS Kalammassery
14. Rakesh KC, CFS, CICFS
15. S Vinodh Immanuel, CFS, MIV Logistics
16. A A Abdul Azeer, CCBA
17. A A Fernandez, CCBA
18. Prakash Iyer, CSAA
19. Subodh T P, CSAA
20. Norbert Karikkassery, Seafood Exporters Association
21. Alex K Ninan, Seafood Exporters Association
22. Venoy Joseph, Consolidators Association of India
23. P M Muraleedharan, ICCI
24. Abraham Philip, ICCI
25. Sasi Kartha, CCCI
26. Rajeev M C, FIEO
27. Priya N, CEPCI
28. Rajeev, CFS, CONCOR
29. S S Das, EIA
30. Varghese Lino, DP World
31. Santhosh, CFS, Falcon
32. V. Veeraraghav, CFS GDKL
33. Revin Xavier, CFS, MIV Logistics
34. A A Fernandez, Cochin Customs Broker Association
35. Santhosh, Cochin Steamer Agents Association
36. Alex P Ninan, Sea Food Exporters Association of India
37. K Manoj Kumar, Export Promotion Council for EOU & SEZs
38. P M Muraleedharan, Indian Chamber of Commerce & Industry

39. Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry

40. Rajeev M C, Federation of Indian Export Organisation

अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस बार बैठक में अच्छी उपस्थिति से उन्हें प्रसन्न हुई है। पिछली बैठक का कार्यवृत्त और उसके मदों पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया इसके बाद नए मुद्दे उठाए गए।

The Chair welcomed the members to the meeting. The Chair stated that he was pleased to see a goods attendance at the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई
Action on minutes of Last Meeting

बिंदु सं.1: चेन्नै से एलसीएल ट्रैन्शिपमेंटों के मामले में आगपत्रों को मैनुअल रूप से फाइल करना - कन्सोलिडेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि चेन्नै से एलसीएल ट्रैन्शिपमेंट के लिए सीमाशुल्क आगम पत्रों के ईडीआई फाइलिंग पर ज़ोर दे रहा है। अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि ऐसे ट्रैन्शिपमेंटों के लिए ईडीआई अगम पत्रों को फाइल करने में तकनीकी अड़चन है, इसलिए मौजूदा प्रणाली जारी रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले को सिस्टम्स निदेशालय, नई दिल्ली के ध्यान में लाया जाएगा।

Point No. 1 – Manual Filings of Bills of Entry in case of LCL Transhipments from Chennai – Consolidators Association of India had raised the issue of Customs insisting on EDI filing of Bills of Entry for LCL Transshipments from Chennai. The Chair had stated that since there was a technical issue in filing EDI Bills of Entry for such Transshipments, the present system would continue. He had further stated that the issue would be taken up with Directorate of Systems, New Delhi.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामले को उठाया गया है और परिणाम प्रतीक्षित हैं।
The Chair stated that issue has been taken up and the results awaited.

बिंदु सं. 2 : - टर्मिनल में प्रचालनों को शुरू करने के लिए जहाज़ के आगमन में देरी - श्री वर्गीस लेनो, डीपी वर्ल्ड ने कहा कि सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, चेन्नै ने यह सूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी कि है कि अंदर प्रवेश देने का स्थान पायलट स्टेशपर पर जहाज़ का प्वाइंट ऑफ रिपोर्टिंग तक बढ़ाया जाना चाहिए ताकि जहाज़ों की बर्थिंग के तुरंत बाद डिसचार्जिंग का कार्य शुरू किया जा सके। उन्होंने यह अनुरोध किया कि ऐसी सार्वजनिक सूचना कोचिन में भी जारी की जाए।

Point No. 2 – Delay in Arrival of Vessel to Beginning of Operations at Terminal – Shri Varghese Lino, DP World had stated that Office of Commissioner of Customs, Chennai had issued a public Notice informing that Entry Inwards shall be advanced to point of reporting of Vessel at Pilot Station so that Vessels can start discharging immediately on berthing of Vessel. He further requested that a Public Notice on similar lines may be issued at Cochin as well.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामला विचाराधीन है।
The Chair stated that this issue is under consideration.

बिंदु सं.3 : जनरल आईईसी के लिए मानदंड - श्री एब्रहाम फिलिप, इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने कहा कि निर्यात और आयात के लिए आईईसी अनिवार्य है उसी समय निजी उपयोग के लिए सामान आयात करने वाले व्यक्तियों या संस्थानों को आईईसी 01000000053 के तहत अनुमति दी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोचिन में सीमाशुल्क जनरल आईईसी के हत आगम पत्रों को दायर करने के लिए पूर्व अनुमति पर ज़ोर देता है और क्षेत्राधिकार वाले विलेज ऑफिस से बिल्डिंग परमिट, बिल्डिंग प्लान और ऐसे दस्तावेज़ों को संलग्न करते हुए एक प्रमाण पत्र मांगता है। उन्होंने अनुरोध किया कि आयातकों की मुश्किलों को दूर करने के लिए जनरल आईईसी की पात्रता के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएं। उप आयुक्त (आई एण्ड बी) ने कहा कि यह पता लगाना मुश्किल है कि सामान निजी उपयोग के लिए है या नहीं और ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिनमें निजी उपयोग के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए सामान लाया गया फिर भी ऐसे आगम पत्रों के लिए जनरल आईईसी का उपयोग किया गया।

Point No. 3 – Criteria for General IEC – Shri Abraham Philip, Indian Chamber of Commerce & Industry had stated that while it was mandatory for IEC for Exports and Imports, Individuals or Institutions imports goods for personal use are permitted to use General IEC 01000000053. He had further stated that at Cochin, Customs insists on a certificate from jurisdictional village office enclosing Building Permit, Building Plan and such documents for issue of permission for General IEC. He requested that broad guidelines on eligibility of General IEC may be issued to mitigate the hardships of the Importers. Deputy Commissioner (I & B) stated that it was difficult to find out whether the goods were for personal use and there have been instances where goods were imported for trading and not for personal use though General IEC was used for filing such Bills of Entry.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उप आयुक्त (आई एण्ड बी) ने पहले ही इस संबंध में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री को स्पष्टीकरण जारी कर दिया है।

The Chair stated that DC (I &B) had already issued a clarification in this regard to Indian Chamber of Commerce & Industry.

बिंदु सं.4 : जहाज़ के आगमन के बाद दस्तावेज़ों को आयात एवं बॉण्ड अनुभाग में लाने की प्रक्रिया को समाप्त कर बोर्डिंग अधिकारी द्वारा दस्तावेज़ों का सत्यापन किया जाना- श्री संतोष, सीएसएए ने कहा कि जहाज़ के आगमन पर, हर बार जहाज़ संबंधी दस्तावेज़ों को आयात एवं बॉण्ड अनुभाग लाया जाता है जिससे सत्यापन में देरी होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि इस आशय के अनुदेश जारी किए जाए कि बोर्डिंग अधिकारी दस्तावेज़ों का सत्यापन करें और प्रतियों को अनुप्रमाणित करें जिससे सीमाशुल्क गृह में दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सके।

Point No. 4 – Verification of documents by Boarding Officer doing away with bringing the documents to Import & Bond Section on arrival of Vessel. – Shri Santhosh, CSAA had stated that on arrival of Vessel, Ship documents are brought to Import and Bond Section every time causing delay for verification. He requested that Instructions may be issued so that Boarding Officer may be directed to verify the documents and attest the copies thereby doing away with the practice of verification of documents at Custom House.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस संबंध में अनुदेश जारी किए जाएंगे ताकि सीमाशुल्क गृह में दस्तावेज़ों के सत्यापन की प्रक्रिया समाप्त की जा सके।

The Chair stated Instructions would be issued in this regard so the practice of verification of documents at Custom House could be discontinued.

चर्चा के लिए उठाए गए नए बिंदु
FRESH POINTS FOR DISCUSSION

बिंदु सं. 1 : राजनयिक व्यक्तियों के लिए सीमाशुल्क से विशेष अनुमति - सीसीबीए ने कहा कि यू.ए.ई. कन्सुलेट त्रिवेंद्रम में कार्य करना शुरू कर दिया है और केरल में कुछ और कन्सुलेट भी खुलने जा रहे हैं। सीसीबीए ने यह भी कहा कि राजयनिक व्यक्ति के लिए हालांकि एक सामान्य आईईसी 0100000037 दिया हुआ है, फिर भी हर बार सीमाशुल्क आयुक्त से विशेष अनुमति की मांग की जाती है। सीसीबीए ने कहा कि ऐसे मामलों में यदि सामान्य अनुमति प्रदान की जाती है, तो बहुत समय बचाया जा सकता है।

Point No. 1 –General Permission from Customs for Diplomatic Personnel – CCBA stated that UAE consulate has started functioning at Trivandrum and some more consulates were being opened in Kerala. CCBA further added that though a general IEC 0100000037 was given to diplomatic personnel, each time a specific permission from Commissioner of Customs was warranted. CCBA requested that a lot of time can be saved if a general permission is granted in such cases.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता आधार पर निपटाने के लिए अनुदेश पहले ही दिए गए हैं। तथापि, उन्होने कहा कि विलंब संबंधी कोई विशेष मामला हो, तो उनके ध्यान में लाया जाए।

The Chair stated that instructions are in place to deal with such cases on priority basis. However, he stated that specific cases of delay, if any may be brought to his notice.

बिंदु सं. 2- एम.ई.आई.एस. स्कीम के तहत उद्देश्य की घोषणा न करने से संबंधित मामले - सीसीबीए ने उल्लेख किया कि कई सदस्यों ने नौवहन बिलों को फाइल करते समय एमआईईएस के लिए उद्देश्य को गलती से *Y* के स्थान पर *N* लिख कर नौवहन बिल फाइल किए हैं। इसके अलावा यह भी जोड़ा कि ऐसे लगभग 350 नौवहन बिल हैं और अनुरोध किया कि इस मामले को डीजीएफटी के साथ उठाए।

Point No. 2 – Issues related to non-declaration of Intent under MEIS Scheme – CCBA pointed out that many members have filed Shipping Bills where intent for MEIS was erroneously given as N instead of Y while filing Shipping Bills. It was further added that around 350 Shipping Bills were there and requested to take up the matter with DGFT.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मामले को डीजीएफटी तथा सिस्टम्स निदेशालय के साथ उठाया गया है और हमें उत्तर प्राप्त हुए हैं कि इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले ऐसी गलतियां ठीक करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।

The Chair stated that the issue had been taken up with DGFT and Directorate of Systems and we have got replies that nothing can be done in this regard since enough time was given for such rectifications in the past.

बिंदु सं. 3 - कंटेनर सीलों की अत्यधिक कमी - कोयर बोर्ड के प्रतिनिधि ने कहा कि फेडरेशन ऑफ इंडियन कोयर एक्सपोर्ट एसोसिएशन ने कहा है कि सीलों की अत्यधिक कमी होने के कारण निर्यात में देरी हो रही है, जिससे निर्यातकों को समय और पैसे का नुकसान उठाना पड़ रहा है।

Point No. 3 – Acute Shortage of Container Seals – Coir Board representative stated that Federation of Indian Coir Exporters Association has stated that acute shortage of seals was delaying the exports and thereby loss of time and money to the exporters.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि पर्याप्त सीलों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

The Chair stated that the steps would be taken to ensure sufficient seals are available.

बिंदु सं. 4 - आईसीईएस प्रणाली का काम न करना- एफआईईओ के प्रतिनिधि ने कहा कि आईसीईएस प्रणाली हर वक्त काम नहीं करती है और इससे जहाज़ों को स्किप करना पड़ता है। उन्होने अनुरोध किया कि पुराने निर्यातकों को पोर्ट पर पुन: जांच से छूट प्रदान की जाए ताकि कट-ऑफ समय के अंदर वे जहाज़ पर माल पहुंचा सकें।

Point No. 4 – ICES System not working – FIEO representative stated that the ICES system was not functional at all times leading the vessels being skipped and requested that long standing exporters may be avoided re-examination at the port to catch the vessel within cut-off time.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आईसीईएस के काम न करने के संबंध में दिक्कतों को दूर करने के लिए कदम उठाए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि ई-सील न किए गए कंटेनरों के लिए ही पुन: जांच की ज़रूरत होती है और निर्यातकों से कहा कि पोर्ट पर जांच से बचने के लिए ई-सीलिंग सुविधा का लाभ उठाएं। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि जहां तक संभव को सिस्टम ब्रेक-डाउन से बचने के लिए कदम उठाए जाएंगे।

The Chair stated that steps have been taken to sort out problems related to the ICES not working. He further added re-examination is only required for Containers which are not E-sealed and asked the exporters to avail E-sealing facility to avoid examination at the Port. The Chair further stated that steps will be taken to avoid system breakdown as far as possible.

बिंदु सं.5 - नौवहन बिलों की निर्यातक प्रति - आईसीसीआई के प्रतिनिधि ने कहा कि कुछ स्टीमर एजेंट अभी भी नौवहन बिलों की मूल निर्यातक प्रति पर ज़ोर दे रहे हैं, जबकि यह निर्णय लिया गया था कि स्टीमर एजेंटों को केवल निर्यातक के नौवहन बिलों की एक स्पष्ट प्रति ही दी जानी है। सीएसएए प्रतिनिधि से इस मामले पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। सीएसएए प्रतिनिधि ने कहा कि वे अपने निर्णय से सभी सदस्यों को अवगत कराएंगे।

Point No. 5 – Exporter's Copy of Shipping Bill – ICCI representative stated that some Steamer Agents are still insisting on Original Exporter's Copy of Shipping Bills despite the decision taken that only a legible copy of the exporter's shipping Bill needs to be handed over to Steamer Agent. CSAA representative was asked to clarify on the issue. CSAA representative stated that they would convey the decision to all their members.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि मैनिफेस्ट के साथ फाइल करने के लिए स्टीमर एजेंट को केवल निर्यातक के नौवहन बिलों की केवल एक स्पष्ट प्रति ही दी जानी है।

The Chair stated that only a legible copy of exporter's copy of Shipping Bills need to be handed over to the Steamer Agent for filing along with the Manifest.

बिंदु सं.6 - केंद्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकारियों द्वारा बोटल सील जारी करने से मना करना - आईसीसीआई ने कहा कि चेर्त्तला रेंज के केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी बोटल सील जारी नहीं कर रहे हैं, जिससे निर्यात पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

Point No. 6 – Central Excise Authorities refusal to issue bottle seals – ICCI stated that Central Excise Authorities at Cherthala Range are not issuing bottle seals which is severely hampering the exports.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले को शीघ्र केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाए।

The Chair stated that the issue would be taken up with Central Excise Authorities at the earliest.

बिंदु सं. 7 - ई-सील वेंडरों द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया जाना- सीफुड एक्सपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि IbTrack वेंडर द्वारा सप्लाई की जाने वाले ई-सेलें कभी कभार डैमेज वाली होती हैं और यह शिकायत भी की कि वेंडर पूछताछ का जवाब नहीं देते हैं।

Point No. 7 – E-seal Vendors not being responsive – Representative from Seafood Exporters Association stated that the E-seals being supplied by the vendor IbTrack are sometimes damaged ones and also complained that the vendors are not responsive to queries.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि एफआईईओ ई-सील वेंडरों के संबंध में एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा है जिसमें ई-सील वेंडरों के प्रतिनिधि भी भाग ले रहे हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि व्यापार जगत इस सम्मेलन में वेंडरों से अपनी समस्याएं स्पष्ट करें।

The Chair stated that FIEO is organizing a meet on the issue of E-seal vendors with representatives from vendors also attending the same. He requested the trade bodies to clarify the issues with the vendors at the meet.

बिंदु सं.8 - आरबीआई साइट पर नौवहन बिलों को अपलोड न किया जाना - आईसीसीआई प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आरबीआई साइट पर नौवहन बिलों को अपलोड नहीं किया जा रहा है।

Point No. 8 – Shipping Bills not being uploaded in RBI Site – ICCI representative pointed out that Shipping Bills are not being uploaded in RBI Site.

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए अगली बैठक में आरबीआई प्रतिनिधि को बुलाया जाएगा।

The Chair stated that RBI representative will be invited to the next meeting to clarify on the issue.

बिंदु सं. 9 - अध्यक्ष महोदय ने उल्लेख किया कि आगम पत्रों और नौवहन बिलों की डाटा गुणवत्ता बहुत खराब है। उन्होंने कहा कि उत्पादों के नाम संक्षेप में दिया जाना, विवरण में स्पेलिंग की गलतियां, विवरण में दी गई मात्रा जैसी समस्याएं डाटा की छान-बीन करने में विभाग के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं। उन्होंने सभी संबंधितों को निदेश दिया कि इस संबंध में बहुत सावधान रहें। उन्होंन यह भी कहा कि डाटा की खराब गुणवत्ता के कारण आईजीएसटी रीफण्ड में भी देरी होती है।

Point No. 9 – The Chair pointed out that data quality of Bills of Entry and Shipping Bills are very poor. He stated that problems such as product name being given in abbreviations, spelling mistakes in description, quantity mentioned in description etc are creating difficulties for the department in analyzing the data. He directed all concerned to be very careful in this regard. He further added that poor data quality is leading to IGST refunds being delayed as well.

चर्चा के लिए कोई अन्य बिंदु नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्त होने की घोषणा की। स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह की वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र

भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in या ccucochin@gmail.com के माध्यम से की जा सकती है।

Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting with a word of thanks to the members. The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in or ccucochin@gmail.com

Sd/-
(सुमित कुमार Sumit Kumar)
आयुक्त Commissioner

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II
Dated 22.12.2017.

//अनुप्रमाणित Attested//

(विजयन पिल्लै Vijayan Pillai)
सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत **Submitted to:**

The Chief Commissioner of Central Excise, Customs & Service Tax, Kerala Zone, Cochin.
The Additional Director General, Directorate of Tax Payer Service, Bangalore Zonal Unit, 4th Floor TTMC Building , Above BMTC Bus Stand, Domlur, Bangalore-560071.

प्रतिलिपि सेवा में **Copy to : Additional Commissioner**
All D.Cs & A.Cs
All members